



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं० 33/प्रेस क्लीपिंग/7/2015/आरयू-III
सेवा में,

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
दिनांक : 26-06-2015

1. श्री के. किशोर सोन,
सचिव,
राजस्व विभाग, झारखण्ड सरकार,
रांची (झारखण्ड)
2. श्रीमती वंदना डाडेल,
सचिव,
कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार
रांची (झारखण्ड)
3. श्री एन.एन. पाण्डेय,
गृह विभाग, झारखण्ड सरकार,
रांची (झारखण्ड)
4. डा. हसमुख आदिया,
सचिव,
वित्तीय सेवाएं विभाग (बैंकिंग एवं बीमा)
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार,
जीवनदीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली
5. श्री डी. के. पाण्डेय,
पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड
पुलिस मुख्यालय,
रांची (झारखण्ड)
6. श्री कृपानन्द,
जिलाधिकारी/उपायुक्त,
जिला-धनबाद,
झारखण्ड
7. श्री राकेश बंसल,
पुलिस अधीक्षक,
जिला-धनबाद,
झारखण्ड

विषय: प्रभात खबर समाचार पत्र, रांची संस्करण में दिनांक 24.03.2015 को "मुआवजे के 11 करोड़ रूपए निकाल लिए बिचौलिए" के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.06.2015 का संदर्भ ग्रहण करें जो कि प्रकरण में चर्चा एवं सुनवाई हेतु दिनांक 30.06.2015 को पूर्वाह्न 11:30 बजे होने वाली बैठक के स्थगन के संबंध में है।

प्रकरण में उक्त समसंख्यक पत्र दिनांक 26.06.2015 को निरस्त किया जाता है और यह सूचित किया जाता है कि प्रकरण में पहले से ही निर्धारित बैठक दिनांक 30.06.2015 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आयोग मुख्यालय में यथावत् होगी।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजों सहित उक्त तिथि दिनांक 30.06.2015 को पूर्वाह्न 11:30 को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेश्वर कुमार)

सहायक निदेशक